UPMB010015952023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।
सत्र परीक्षण संख्या–493/2023
सरकार बनाम वकील उर्फ गोलू
धारा 41/ 411,413 भा0दं0सं0
मु0अ0सं0–184/2013
थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा।

आरोप

मैं सर्वोत्तमा नगेश शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा, आप अभियुक्त **वकील उर्फ गोलू** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ:–

प्रथम– यह कि आप अभियुक्त के कब्जे से दिनांक 03.02.2013 को समय 11:45 बजे रात्रि स्थान थाना कोतवाली महोबा के अन्तर्गत चुराई गयी मोटरसाईकिल संख्या एम. पी. 04एम.एम./ 6322 बरामद की गयी जो आपने चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 411 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक व समय व स्थान पर आपके कब्जे से चुराई हुई मोटरसाईकिल संख्या एम0पी0–04एम.एम./ 6322 बरामद की गयी जो चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–413 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आप अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 01.04.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

आरोप अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। उक्त आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांकः 01.04.2024

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

UPMB010015952023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।

सत्र परीक्षण संख्या–493/2023
सरकार बनाम वकील उर्फ गोलू
धारा 41/ 411,413 भा0दं0सं0
मु0अ0सं0–184/2013
थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा।

आदेश

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त **वकील उर्फ गोलू** अन्य मामले में जेल में निरूद्ध है से मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आया।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत मेरी राय में यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त **वकील उर्फ गोलू** के विरूद्ध धारा 411,413 भा0 दं0 सं0 का प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 15.04.2025 को पेश हो।

दिनांकः 01.04.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

Digitally signed by Sarvottama Nagesh Sharma
Date: 2025.04.02 10:23:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court